विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-39/15

श्री रेहान खान पिता अब्दुल अजीज — आवेदक
महू रोड, होटल कॉसमॉस के पीछे,
रतलाम (म.प्र.)

विरूद्ध

कार्यपालन यंत्री (शहर), संभाग — अनावेदक
मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.,
जिला– रतालम (म.प्र.)

आदेश

(दिनांक 30.04.2016 को पारित)

01 विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इंदौर के शिकायत प्रकरण क्रमांक W0314915 श्री रेहान खान पिता अब्दुल अजीज विरूद्ध कार्यपालन यंत्री (शहर) संभाग, म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. रतलाम में पारित आदेश दिनांक 09.11.2015 के विरूद्ध आवेदक की ओर से अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है।

02 आवेदक द्वारा विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इंदौर के आदेश दिनांक से 60 दिन के पश्चात अभ्यावेदन प्रस्तुत करने को क्षमा करने हेतु अनुरोध किया तथा बताया कि उन्हें फोरम के आदेश की प्रति माह जनवरी 2016 में प्राप्त हुई। इसके पश्चात दिनांक 22.2.2016 को उनके द्वारा विद्युत लोकपाल के यहॉ अपील प्रस्तुत की गई जो समय–सीमा में है। यह अपील अभ्यावेदन विद्युत लोकपाल कार्यालय में प्रकरण क्रमांक एल00–39/15 पर दर्ज किया गया।

03 आवेदक के उपरोक्त कथन पर अनावेदक द्वारा इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं ली गई और न ही उनके द्वारा फोरम के आदेश की प्रति उन्हें जनवरी माह में प्राप्त हुई है के तर्क का खण्डन किया गया। अतः आवेदक का अभ्यावेदन ग्राह्य कर सुनवाई हेतु उभय पक्षों को सूचना जारी की गई।

04 दिनांक 7.4.2016 को सुनवाई में आवेदक के अधिवक्ता श्री सुनील पारिख एवं अनावेदक की ओर से श्री भूषण कुलकर्णी, जूनियर इंजीनियर, रतलाम उपस्थित हुए। आवेदक द्वारा प्रकरण के संबंध में अवगत कराया गया कि उनके विद्युत कनेक्शन हेतु दिनांक 2.11.2012 को मीटर स्थापित किया गया था जिसे दिनांक 14.10.2014 को त्रुटिपूर्ण होने के कारण बदला गया।

05 आवेदक द्वारा बताया गया कि अनावेदक द्वारा मीटर स्थापित करने की तिथि से त्रुटिपूर्ण मीटर बदलने की तिथि तक का रूपये 1,10,155/– का पूरक बिल दिया गया है, जबकि मीटर डिफेक्टिव होने के लिए आवेदक जिम्मेदार नहीं हैं।

06 आवेदक द्वारा यह अपत्ति ली गई कि अधीक्षण यंत्री रतलाम द्वारा विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इंदौर को उनके पत्र द्वारा सूचित किया गया कि उक्त विवादित मीटर का परीक्षण दिनांक 14.7.2015 को किया गया । अर्थात लगभग 9 माह उपरोक्त विवादित मीटर अनावेदक के पास रहा एवं इसके पश्चात एलटीएमटी प्रयोगशाला में परीक्षण कराया गया तथा आवेदक अथवा उसका कोई प्रतिनिधि मीटर परीक्षण के समय उपस्थित नहीं था।

07 अनावेदक द्वारा इस संबंध अवगत कराया कि आवेदक के परिसर से निकाले गये मीटर का परीक्षण एलटीएमटी प्रयोगशाला में दिनांक 18.10.2014 को आवेदक के सम्मुख कराया गया था।(ओई–1) जिसमें मीटर का आर. फेस के पोटेन्सियल सर्किट का तार कटा हुआ पाया गया।

08 अनावेदक द्वारा उक्त मीटर के एक फेस पर बंद होने की पुष्टि के लिए आवेदक के यहॉ लगाये जाने से पूर्व की एलटीएमटी प्रयोगशाल में परीक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। (ओई–2) जिसमें सरल क्रमांक–11 पर उक्त विवादित मीटर का एक फेस पर मीटर बंद होने का उल्लेख है।

09 आवेदक द्वारा प्रस्तुत लिखित दस्तावेज एवं तर्कों के आधार पर इस बात की पुष्टि करने हेतु कि क्या मीटर आवेदक के परिसर में लगाने के पूर्व त्रुटिपूर्ण था अथवा नहीं एवं अनावेदक को कब पता चला कि आवेदक के परिसर में लगा हुआ मीटर त्रुटिपूर्ण है। अनावेदक को अगली सुनवाई में निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु कहा गया।

अ. मीटर वास्तव में किस तारीख को और कब एलटीएमटी में परीक्षण किया गया वह रजिस्टर जिसमें कि उक्त विवरण हो तथा आवेदक के परिसर में स्थापित करने के पूर्व मीटर की एलटीएमटी में परीक्षण किये जाने की रिपोर्ट एवं पुष्टि हेतु एलटीएमटी का मूलतः रजिस्टर।

ब आवेदक के यहॉ मीटर लगाये जाने के पश्चात की एमआरआई रिपोर्ट।

10 अनावेदक द्वारा दिनांक 25.4.2016 को प्रस्तुत दस्तावेज (ओई–2) की पुस्टि हेतु एलटीएमटी प्रयोगशाल में परीक्षण रिपोर्ट दर्ज का मूलतः रजिस्टर प्रस्तुत किया गया तथा आवेदक के परिसर के विद्युत कनेक्शन की मीटर की एमआरआई रिपोर्ट (ओई–3) भी प्रस्तुत की गई। अनावेदक द्वारा प्रस्तुत एलटीएमटी प्रयोगशाल में परीक्षण का मूल रजिस्टर से पूर्व में प्रस्तुत दस्तावेज (ओई–2) का मिलान कर उभय पक्षों के हस्ताक्षर लिये गये।

11 दिनांक 25.4.2016 को आवेदक द्वारा सुनवाई के दौरान आपत्ति ली गई कि अनावेदक द्वारा उनके विद्युत कनेक्शन की तिथि पर ही त्रुटिपूर्ण मीटर स्थापित कियागया जो एक फेस पर कार्यशील नहीं था जिसकी पुष्टि अनावेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज (ओई–2) से होती है । अनावेदक द्वारा दिये गये दस्तावेज से यह स्पष्ट है कि आवेदक को विद्युत कनेक्शन देते समय लगाया गया मीटर एक फेस पर बंद था जिसे दिनांक 14.10.2014 को बदला गया।

12 यहॉ यह प्रश्न उठता है कि–

(i) जब विद्युत कनेक्शन देने की तिथ से ही मीटर एक फेस पर बंद था तो क्या आवेदक को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हुए बिलिंग की जाना उचित है ।

(ii) क्या आवेदक इस प्रकरण में कोई क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का हकदार है।

उपरोक्त दोनों बिन्दुओं के विचारण करने के लिए विद्युत प्रदाय संहिता 2013 एवं सर्विस में कमी पाये जाने पर आवेदक को क्षतिपूर्ति दिये जाने हेतु मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी

विनियम मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (वितरण अनुपालन मानदण्ड) (द्वितीय पुनरीक्षण) विनियम 2012 का अवलोकन किया गया जिसमें निम्नानुसार प्रावधान दिये गये हैं।

अ विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 8.14, 8.15, 8.22 एवं 8.23 इस प्रकार हैं–

8.14 अनुज्ञप्तिधारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि मापयन्त्र (मीटर) की स्थापना के पूर्व इसकी परिशुद्धता से अपने को संतुष्ट कर ले और इस प्रयोजन हेतु वह मापयन्त्र का परीक्षण भी कर सकेगा।

8.15 अनुज्ञप्तिधारी निम्न अनुसूची के अनुसार मापयपयन्त्रों का नियतकालिक निरीक्षण/परीक्षण भी करेगा :

(अ) एकल फेज/तीन फेज मापयन्त्रो ं (Single Phase/Three Phase Meters) का पाचं वर्ष में कम से कम एक बार।

(ब) उच्चदाब मापयन्त्रो ं (H.T. Meters) का प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार। जहां कहीं सीटी एव ं पीटी स्थापित किये गय ं हों, का परीक्षण भी मापयन्त्रों के साथ ही किया जाएगा।

यदि आवश्यक हो तो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्यमान मापयन्त्र को परीक्षण हेतु हटाया भी जा सकेगा। तथापि, ऐसी परिस्थिति में अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधि को इस आशय की उपभोक्ता को प्रामाणिक सूचना प्रस्तुत करनी होगी और अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधि द्वारा मापयन्त्र निकालने के पूर्व अपना नाम व पद सहित हस्ताक्षर कर उपभोक्ता को पावती देनी होगी। उपभोक्ता, इस प्रकार मापयन्त्र को हटाने पर अपनी आपत्ति प्रकट नहीं करेगा।

8.22 उक्त माह के दौरान, जब मापयंत्र/मापयन्त्र उपकरण (Meter/Metering Equipment) शहरी क्षेत्र में 15 दिवस से अधिक अवधि तथा ग्रामीण क्षेत्र में 30 दिवस से अधिक की अवधि के दारौन त्रुटिपूर्ण अवस्था में रहते हों, तो मापयंत्र/मापयन्त्र उपकरणों के प्रति कोई भी मापयन्त्र प्रभार (metering charges) देय न होंगे।

मापयन्त्रों की स्थापना (Installation of Meters) :

8.23 उपभोक्ताओ के परिसर में स्थापित किये जाने वाले मापयन्त्र, संयोजन की अनुबंध मांग के अनुरूप उपयुक्त क्षमता के तथा भारतीय मानक ब्यूरो के सुसंगत मानकों के अनुरूप होगें। मापयन्त्रों की परिशुद्धता केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में मापयन्त्रो ं की स्थापना तथा संचालन से संबंधित विनियम, यथा Central Electricity Authority (Installation and Operation of Meters) Regulations, 2006 जैसा कि इसे समय–समय पर संशोधित किया गया हो, के अनुसार जारी मानदण्डो ं के अनुरूप होगी। वितरण अनुज्ञप्तिधारी मापयन्त्रो को अनुज्ञप्तिधारी के भण्डार को प्रदाय करने से पूर्व सुसंगत भारतीय मानक मानदण्डों (आईएसएस) के अनुसार इनका परीक्षण किया जाना सुनिश्चित करेगा। उपभोक्ता परिसर में मापयन्त्रों की स्थापना से पूर्व, वितरण अनुज्ञप्तिधारी समस्त मापयन्त्रों का नियत सामान्य परीक्षण सुसंगत भारतीय मानकों तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के विनियमों के अनुसार मापन की परिशुद्धता सुनिश्चित किये जाने के संबंध मे ं भी करेगा।

ब विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (वितरण अनुपालन मानदण्ड) (द्वितीय पुनरीक्षण) विनियम 2012 के परिशिष्ट– अ (v) जिसमें कि मीटर से संबंधित शिकायत के परिपालन में कमी पाये जाने पर क्षतिपूर्ति दिये जाने का उल्लेख किया है जो निम्नानुसार है –

(v) मापयंत्री (मीटर) संबंधी शिकायतें		
निरीक्षण तथा शुद्धता की जांच	*सात दिवस में*	*विलंव होने पर रूपये 100/– प्रति सप्ताह (अथवा उसका अंश)*
धीमें, रेंगेते हुए या रूके हुए मापयंत्रों की प्रतिस्थापना	*ग्रामीण क्षेत्रों में 30 दिवस में तथा शहरी क्षेत्रों में 15 दिवस की अवधि में*	
जले हुए मापयंत्रों की प्रतिस्थापना, यदि इसका कारण उपभोक्ता पर आरोपित न किया गया हो	*शिकायत प्राप्ति से 7 दिवस की अवधि में*	
अन्य प्रकरणों में, जले हुए मापयंत्रों की प्रतिस्थापना	*उपभोक्ता द्वारा प्रभारों के भुगतान के 7 दिवस की अवधि में*	

उपरोक्त प्रावधान के अवलोकन करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि–

अ इसमें कोई संशय नहीं है कि आवेदक के यहॉ विद्युत कनेक्शन देते समय जो मीटर लगाया गया वह एक फेस पर बंद था जिसकी पुष्टि स्वयं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज (ओई–2) से होती है। यद्यपि मीटर एक फेस पर बंद था तथा दो फेस पर ही विद्युत खपत दर्ज कर रहा था। यदि मीटर में कोई त्रुटि नहीं होती तो निश्चित तौर पर ही इस स्थिति में दर्ज खपत का 50 प्रतिशत और अधिक विद्युत खपत मीटर में दर्ज होती जो कि आवेदक के द्वारा की जाने वाली वास्तविक खपत के अनुसार होती ।

13 यह भी सत्य है कि अनावेदक की गलती के कारण एक फेस पर बंद मीटर को आवेदक के यहॉ लगाया गया जो कि उनकी सर्विस में लापरवाही दर्शाती है तथा मीटर लगाने के पश्चात लगभग दो वर्ष की अवधि में उस मीटर का न तो परीक्षण किया गया और न ही परिसर का निरीक्षण किया गया। प्रथम बार यह गलती की मीटर एक फेस पर बंद है दिनांक 14.10.2014 (ओई–3) को पकड़ में आयी जबकि एलटीएमटी परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा उक्त मीटर को परीक्षण उपरांत दिनांक 21.6.2012 को ही त्रुटिपूर्ण घोषित किया जा चुका था।

14 चूंकि आवेदक द्वारा इस अवधि में विद्युत का उपयोग किया गया है, अतः वास्तविक खपत का भुगतान आवेदक द्वारा किया जाना है। परन्तु साथ ही साथ यह भी देखना जरूरी है कि अनावेदक की सर्विस में कमी के कारण आवेदक क्षतिपूर्ति पाने का हकदार है या नहीं इसके लिए मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2013 एवं वितरण अनुपालन मानदण्ड विनियम (द्वितीय पुनरीक्षण) विनियम 2012 का अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यदि आवेदक की शिकायत पर मापयंत्र (मीटर) का निरीक्षण तथा शुद्धता की जांच 7 दिवस में नहीं करायी जाती तब इस स्थिति में आवेदक क्षतिपूर्ति पाने का हकदार है। परन्तु दिनांक 14.10.2014 को प्रथम बार मीटर त्रुटिपूर्ण होने की जानकारी अनावेदक को प्राप्त हुई जिसके परिपालन में दिनांक 14.10.2014 को ही मीटर बदल दिया गया। अतः इस नियम के तहत आवेदक किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति पाने का हकदार नहीं है।

15 अनावेदक को समय समय पर आवेदक के परिसर में लगाये गये मीटर का निरीक्षण/परीक्षण कराया जाना था परन्तु लगभग दो वर्ष की अवधि में लगातार त्रुटिपूर्ण मीटर में दर्ज विद्युत खपत के अनुसार बिल जारी किये जाते रहे।

16 विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 8.22 के अनुसार अगर त्रुटिपूर्ण मीटर शहरी क्षेत्र में 15 दिवस से अधिक अवधि तथा ग्रामीण क्षेत्र में 30 दिवस से अधिक की अवधि के दारौान त्रुटिपूर्ण अवस्था में रहते हों, तो मापयंत्र/मापयन्त्र उपकरणों के प्रति कोई भी मापयन्त्र प्रभार नहीं लिया जाना था किन्तु वह भी लिया जाता रहा।

17 विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 8.23 के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी को उपभोक्ता परिसर में मापयन्त्रों की स्थापना से पूर्व, वितरण अनुज्ञप्तिधारी समस्त मापयन्त्रों का नियत सामान्य परीक्षण सुसंगत भारतीय मानकों तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के विनियमों के अनुसार मापन की परिशुद्धता सुनिश्चित की जानी थी परन्तु इस प्रकरण में अगर अनावेदक द्वारा आवेदक के परिसर में मीटर लगाने के पश्चात उसकी परिशुद्धता सुनिश्चित करने हेतु परीक्षण कर लिया जाता तो इस बात की पुष्टि हो जाती कि मीटर एक फेस पर बंद था परन्तु अनावेदक द्वारा ऐसा नहीं किया गया।

18 अतः उपरोक्त कंडिकाओं के प्रावधानों से यह पाया जाता है कि अनावेदक द्वारा अपने स्तर पर मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता की कंडिकाओं के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया । अतः इसके लिए अनुज्ञप्तिधारी उनके विरूद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही करे।

अतः आदेशित किया जाता है कि –

(i) आवेदक जनवरी 2013 से 14.10.2014 तक की अवधि के लिए दिये गये पूरक बिल का भुगतान करें जो कि उनके द्वारा की गई वास्तविक खपत के अनुरूप है।

(ii) आवेदक के परिसर में त्रुटिपूर्ण मीटर लगे रहने की अवधि में लिये गये मापयंत्र प्रभार (मीटर हायर चार्जेस) को निरस्त कर जमा की गई राशि का समायोजन आवेदक के आगामी विद्युत देयकों में किया जाए।

(iii) अनुज्ञप्तिधारी संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही कर सूचित करे।

19 आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निःशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल